राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक : कअ / अजमेर / सहा. / मानसून / बाढ़ / 2024 / 2024 / 213 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

— : : आदेश : :—

मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान द्वारा क्षेत्र में अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है । अलर्ट / चेतावनी के आधार पर अजमेर जिले में दिनांक 05.08.2024 एवं 06.08.2024 को अत्यधिक बारिश एव बाढ़ की संभावना को देखते हुए अजमेर जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभाव / संभावित अनहोनी घटना से बचाने एवं विद्यार्थियों के हितार्थ व स्वास्थ्य के मद्देनजर जिले के संचालित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना अति–आवश्यक है ।

अतः मैं भारती दीक्षित, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अजमेर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु दिनांक 05.08.2024 एवं 06.08.2024 का अवकाश घोषित करती हुँ ।

यह अवकाश केवल विद्यार्थियो के लिये लागू होगा । शेष स्टाफ (शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक) यथावत कार्य करेगा । जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें । यदि कोई भी संस्था प्रधान विद्यालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

4/8/24

भारती दीक्षित (I.A.S.)
जिला कलक्टर, अजमेर

क्रमांक : कअ / अजमेर / सहा. / मानसून / बाढ़ / 2024 / 2024 / 4542-91 दिनांक : यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि पालनार्थ :

01. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर ।
02. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (मा.शि. / प्रा.शि.) एवं समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अजमेर जिला ।
03. पीईईओ / यूसीईईओ .... जिला अजमेर ।
04. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, अजमेर ।
05. आदेश पत्रावली ।

4/8/24

जिला कलक्टर, अजमेर